

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- /ix-1/246(2004)/2017

देहरादून दिनांक : 20 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उप नियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन निम्नानुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु गैर सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	नामित व्यक्ति का नाम एवं पता
1.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा।	1- श्री हरीश सिंह नागरकोटी, ग्राम खड़ायत पो0 सिमलकोट, अल्मोड़ा। 2- श्री ललित चन्द्र पाण्डे, ग्राम व पो0 अभ्याड़ी, रानीखेत, अल्मोड़ा।
2.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल।	1- श्री विक्रान्त रावत, ग्राम -च्चीचां, थाना मौहल्ला पौड़ी गढ़वाल। 2- श्री राकेश कुमार डिमरी (राकुडी), c/o होटल स्वास्तिक, H.N.B. नगर कर्णप्रयाग, चमोली।
3.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी।	1- श्री रविन्द्र कर्नाटक, ग्राम सिलौटीपंत नैकुधियाताल, नैनीताल। 2- श्री दया किशोर जोशी, ग्राम एवं पो0 हरिपुरा बाजपुर ऊधमसिंह नगर।
4.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून।	1- श्री राजपाल सिंह, 468 आवास विकास कालोनी रूड़की, हरिद्वार। 2- श्री अनिल डबराल, 141 किशननगर देहरादून।

(डी0 सेन्थिल पाण्डेयन)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्डस सरकार।
5. सम्बन्धित महानुभाव।
6. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय रुड़की जनपद-हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियों आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन, को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 839/ix-1/246(2004)/2017

देहरादून दिनांक : 20 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 56 के उप नियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में श्री रकित वालिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वालिया, ग्राम जगजीतपुर, पो0 कनखल, जनपद हरिद्वार तथा श्री सुन्दर सिंह रावत, बी-9/7 डी बौराड़ी, नई टिहरी को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु गैर सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या (1)/ ix-1/56(2010)/2017तददिनांक

प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद-हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग- 1 उत्तराखण्ड शासन, को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 839 (1)/ ix-1/56(2010)/2017तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
5. सम्बन्धित महानुभाव।
6. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।